कर्ज को कर्ज नहीं निवेश कहेंगे

▶ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने पत्रकार वार्ता में कहा

▶ समय पर कर्ज का मूल और ब्याज चुकाने का दावा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 18 दिसंबर. उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य सरकार पर बढ़ते कर्ज को लेकर नई थ्यौरी दी है. उन्होंने कहा कि कर्ज को कर्ज नहीं निवेश कहेंगे. हम भारत सरकार के नियम के तहत ही कर्ज ले रहे हैं, उस कर्ज को समय पर चुका रहे हैं.

कर्ज लेकर हम डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं. कर्ज की राशि को केवल पूंजीगत मद में ही खर्च कर रहे हैं. यह दावा उन्होंने गुरुवार को वित्त एवं वाणिज्यिक कर विभाग की दो वर्ष की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए पत्रकार वार्ता के दौरान

किया. इस दौरान अपर मुख्य सचिव वित्त मनीष रस्तोगी ने साफ किया कि कर्ज केवल पूंजीगत कार्यों के लिये ही लिया जा रहा है. इस राशि को राजस्व मद में खर्च नहीं किया जा रहा है, केवल कोविड काल के दो वर्षों में ही कर्ज की राशि को राजस्व मद में उपयोग किया था, उसके बाद नहीं किया. उन्होंने कहा कि जीएसडीपी का 3 फीसदी तक हम कर्ज ले सकते हैं, पिछले वित्तीय वर्ष में लिमिट 45 हजार करोड़ रुपये थी, वहीं मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीएसडीपी के आकार 16.94 करोड़ होने पर कर्ज की लिमिट लगभग 51 हजार करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि कोई भी राज्य और देश बिना कर्ज की राशि के विकास नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि हम कर्ज की मूल राशि के साथ ही ब्याज के 28 से 29 हजार करोड़ रुपये भी लौटा रहे हैं.

एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक कर विभाग ने वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली के लिये जो लक्ष्य तय किया है, उसमें हम पीछे चल रहे हैं, लेकिन वित्तीय वर्ष के अंत तक लक्ष्य हासिल कर लेंगे या फिर उससे भी अधिक तक पहुंच जाएंगे.

इसके लिये हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. लाड़ली बहनों को प्रतिमाह 5 हजार रुपये तक दिये जाने को लेकर सीएम द्वारा दिये गये बयान के संबंध में उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने कहा कि सीएम साहब ने जो भी कहा है उसे पूरा करेंगे. उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 55 हजार 634 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ था. वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर तक कुल 34 हजार 829 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. वर्ष 2025-26 में माह नवम्बर तक डाटा एनालिटिक्स आधारित चिन्हित प्रकरणों में प्रवर्तन कार्यवाहियों से रु. 967 करोड़ एवं ऑडिट की कार्यवाही से. 404 करोड़ रु का राजस्व प्राप्त हुआ है। बुरहानपुर, राजगढ़, खरगोन, झाबुआ, कटनी एवं नरसिंहपुर जिलों में नवीन कार्यालय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।

▶ मदिरा निर्यात के लिये एकीकृत पॉलिसी बनेगी

उप मुख्यमंत्री देवड़ा ने बताया कि राजस्व में वृद्धि के लिये राज्य तथा देश के बाहर मदिरा के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये एकीकृत पॉलिसी बनाई जाएगी. मदिरा उपभोग/विक्रय के एक दिवस का लायसेंस मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से जारी किया जाएगा. प्रदेश के समस्त शासकीय विभाग, निगम, मंडल द्वारा दिए जा रहे वर्क आर्डर तथा भुगतान की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सके इसके लिये डाटा रिपोजटरी बनाया जाएगा.

दीन-दुखियों की सेवा ईश्वर की सेवा : राज्यपाल मंगुभाई

भोपाल, 18 दिसंबर. राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि दीन-दुखियों की सेवा ईश्वर की सेवा है. पीड़ित मानवता की सेवा का अवसर सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है.

राज्यपाल ने गुरुवार को भोपाल स्मारक अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र (बी.एम.एच.आर.सी.) में आयोजित चौथे इंटरनेशनल स्कूल ऑन रेडिएशन रिसर्च के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा कि मरीजों के लिए चिकित्सक भगवान का अवतार होते हैं. उपचार के दौरान चिकित्सक का मरीजों के साथ व्यवहार बहुत मायने रखता है. चिकित्सक की आत्मीयता, सरलता व सहजता मरीज के मनोविज्ञान और उपचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. इस अवसर पर अस्पताल की प्रभारी निदेशक डॉ मनीषा श्रीवास्तव भी मौजूद थीं.

▸ एक नजर में ◂

राम वी. सुतार के निधन पर शुक्ल ने शोक जताया

भोपाल. उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने सुप्रसिद्ध मूर्तिकार श्री राम वी. सुतार के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सृजनकार, सुप्रसिद्ध मूर्तिकार एवं 'पद्म विभूषण' से अलंकृत राम वी. सुतार के निधन का समाचार अत्यंत दु:खद है। उनके देहावसान से भारतीय कला, शिल्प एवं सांस्कृतिक जगत ने अपनी एक अमूल्य धरोहर खो दी है। शुक्ल ने कहा कि गुजरात में निर्मित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेली की भव्य प्रतिमा का सृजन, सुतार जी के अद्वितीय शिल्प कौशल का नमूना है.

शराब पीकर ट्रक चलाने वालों पर यातायात पुलिस का शिकंजा, 7 वाहन जप्त

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 18 दिसम्बर। जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। एसपी मनीष खत्री के निर्देश एवं एएसपी सर्वप्रिय सिन्हा तथा सीएसपी पीएस परस्ते के मार्गदर्शन में थाना यातायात पुलिस द्वारा 17-18 दिसंबर की मध्यरात्रि को औचक चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 7 ट्रक चालकों को पकड़ा गया, जिनके वाहन तत्काल जप्त कर न्यायालय भेजे गए।

यातायात पुलिस ने यह कार्रवाई सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से की। मध्यरात्रि में शहर के प्रमुख मार्गों

निगाही मोड़, अमलोरी तिराहा एवं पुराना ट्रैफिक तिराहा पर अलग-अलग टीमों को तैनात कर सघन जांच की गई। अभियान के दौरान करीब 37 वाहनों की जांच की गई और चालकों को शराब या अन्य मादक पदार्थ का सेवन कर वाहन न चलाने की सख्त समझाइश दी गई। जांच के दौरान यह सामने आया कि शराब के नशे में वाहन चलाने से चालक का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वाहन पर नियंत्रण नहीं रह पाता, जिससे गंभीर सड़क दुर्घटनाएं घटित होती हैं। इसी के मद्देनजर शराब पीकर ट्रक चलाते पाए गए 7 चालकों के वाहन जप्त कर लिए गए और प्रकरण निराकरण के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। यातायात पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि पकड़े गए सभी चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कराए जाएंगे।

न्यायालय के आदेशानुसार 6 माह की अवधि के लिए लाइसेंस निलंबन के लिए प्रस्ताव संबंधित जिला परिवहन कार्यालय को भेजा जाएगा। इस सराहनीय कार्रवाई में थाना प्रभारी यातायात के नेतृत्व में सउनि सवालिया रावत, सुरेश शुक्ला, आर प्रवेश, रवी सहित अन्य यातायात पुलिस स्टाफ का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुलिस प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि आगे भी इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

हमें प्रतिदिन सुरक्षा से अपने कार्यों को करना चाहिए : यूनिट हेड

जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड में मना खान सुरक्षा सप्ताह आयोजित

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 18 दिसम्बर। जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड में वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह ध्वजारोहण के साथ उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसके अंतर्गत प्रथम दिवस में अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सुरक्षा के साथ काम करने की शपथ ली।

विगत वर्ष बिना किसी घटना के सुरक्षित तरीके से कोयला उत्पादन किया गया और प्रबंधन घटना मुक्त बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहा। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को वरिष्ठ उपाध्यक्ष माइन्स के द्वारा शपथ दिलाई गई, इसी तारतम्य में डीडीएमएस टेक्निकल एवं डीडीएमएस मीकेनिकल के साथ 12 सदस्यी पर्यवेक्षक दल का नेतृत्व महाप्रबंधक कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि सुरक्षा, स्वयं, साथी एवं मशीन की करनी चहिये एवं विभिन्न सदस्यों ने बहुमूल्य सुझाव दिये और जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड अमिलिया नॉर्थ कोल माइन्स को सुरक्षा एवं उत्पादन की दृष्टि से जमकर सराहा। कार्यक्रम का संचालन सलाहकार माइन्स के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में यूनिट हेड के द्वारा अपने उद्बोधन में सुरक्षा को प्रथम वरियता दी और कहा कि वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह हमें याद दिलाता है कि हमें प्रतिदिन सुरक्षा से अपने कार्यों को करना चाहिए। कार्यक्रम में कर्मचारियों को स्लोगन आदि पर पुरूस्कार भी दिये गये। कार्यक्रम में जयप्रकाश पावर वेन्चर्स लिमिटेड के अधिकारी एवं 12 सदस्यी टीम के लोग मौजूद थे।

आईईसी गतिविधियों के माध्यम से शहरी स्वच्छता में सुधार के लिए चलाया जा रहा अभियान

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 18 दिसम्बर। शहरी स्वच्छता को परिलक्षित करने के लिए निगमायुक्त सविता प्रधान के निर्देशानुसार नगर निगम एवं अनुबंधित संस्था सीटाडेल प्रोजेक्ट और एलाइड सॉल्यूशन द्वारा वार्ड स्तर कर जागरूकता अभियान और अभ्यास के लिए गतिविधियां की जा रही है।

वार्ड स्तर पर नागरिकों से संवाद के माध्यम से कचरा संग्रहण वाहन की पहुंच शत प्रतिशत सुनिश्चित करना, स्रोत पृथक्करण एवं पृथक्कृत कचरा का परिवहन के लिए नागरिक समूहों और डोर-टू-डोर पहुंच

स्थापित करते हुए व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता की जा रही है और साथ ही मुख्य बाजारों में एक-एक दुकान में संपर्क करते हुए अनिवार्य रूप से दो डस्टबिन रखने और सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग और भंडारण पर प्रतिबंध के लिए जागरूक किया गया।

अभियान में प्रमुख रूप से नोडल अधिकारी आरपी बैस, स्वास्थ्य अधिकारी बालगोविंद चतुर्वेदी, सहायक नोडल अधिकारी शशांक गौतम द्वारा वार्डो में वाहनों की जांच, स्रोत पृथक्करण का जमीनी स्तर पर निगरानी करते हुए संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिया और नागरिकों से संवाद करते हुए शहरी स्वच्छता को फलीभूत करने में सहयोग के लिए अपील किया।

देवसर बाजार से अतिक्रमण हटाने प्रशासन सख्त

नवभारत न्यूज

देवसर 18 दिसम्बर। देवसर बाजार में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण और सड़क हादसों को लेकर प्रशासन ने अब सख्त रुख अपनाया है। बीते दिनों सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद तहसील प्रशासन हरकत में आ गया है। तहसीलदार ने पूरी टीम के साथ बाजार का निरीक्षण करते हुए अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों को अंतिम चेतावनी दी है।

प्रशासन का कहना है कि देवसर बाजार में सड़क किनारे सब्जी विक्रेताओं और ठेला व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण कर दुकाने लगाई जा रही हैं, जिससे सड़क की चौड़ाई काफी कम हो गई है। इसके कारण आए दिन जाम की स्थिति बनती है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। हालिया हादसे में एक युवक की जान जाने के बाद प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है। तहसीलदार ने बताया कि हादसे के तुरंत बाद व्यापारियों को अल्टीमेटम दिया गया था, ताकि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लें, लेकिन तय समय सीमा बीतने के बावजूद कई व्यापारियों ने चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। इसी के चलते आज प्रशासन ने

अंतिम चेतावनी जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान राजस्व विभाग, नगर परिषद और पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने व्यापारियों से अपील की कि वे जनहित को समझते हुए सहयोग करें, ताकि भविष्य में सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके। प्रशासन ने यह भी साफ किया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी तरह कानून के तहत होगी और किसी भी प्रकार की लापरवाही या बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में देवसर बाजार को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।

Notice Regarding Correction of Date of Birth

It is hereby informed that I, Army No. 17023288W, Craftsman Jivesh Kumar Patel, son of Shri Ramlal Patel, am serving in the EME Corps.Due to an inadvertent error, my father's date of birth has been incorrectly recorded as 05/02/1958 in my Army records.However, as per Aadhaar Card and all other valid documents, my father's correct date of birth is 01/01/1963.Therefore, it is humbly requested to all concerned departments/authorities and institutions to kindly read and treat the correct date of birth of my father Shri Ramlal Patel as 01/01/1963 only.

Informant:
Craftsman Jivesh Kumar Patel
Army No.: 17023288WE.M.E Core

Notice Regarding Correction of Date of Birth

It is hereby informed that I, Army No. 17023288W, Craftsman Jivesh Kumar Patel, son of Shri Ramlal Patel, am serving in the EME Corps.Due to an inadvertent error, my mother's date of birth has been incorrectly recorded as 03/02/1952 in my Army records.However, as per the Aadhaar Card and other valid documents, my mother's correct date of birth is 01/01/1968.Therefore, it is humbly requested to all concerned departments/authorities and institutions to kindly read and treat the correct date of birth of my mother Smt. Manua Patel as 01/01/1968 only.

Informant:
Craftsman Jivesh Kumar Patel
Army No.: 17023288WE.M.E Core

बैढ़न में खाद्य सुरक्षा उड़नदस्ता की कड़ी कार्रवाई

मानकों के उल्लंघन पर जप्ती, नष्टीकरण और नोटिस, दो दिन चला सघन अभियान

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 18 दिसम्बर। आमजन के स्वास्थ्य के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हुए डिविजनल इंचार्ज अमरीश दुबे के नेतृत्व में रीवा, शहडोल संभाग की खाद्य सुरक्षा प्रशासन की उड़नदस्ता टीम ने बैढ़न क्षेत्र में दो दिवसीय सघन निरीक्षण अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई की।

अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने पर सामग्री जप्त की गई, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थ नष्ट कराए गए तथा संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई। बीते दिन बुधवार को टीम ने सर्वप्रथम औद्योगिक क्षेत्र बलियरी तथा गोंदवाली, बरगवां क्षेत्र की आटा चक्कियों का निरीक्षण किया। लाइसेंस शर्तों का पालन करने के लिए संचालकों को निर्देश दिए गए और गेहूं व आटे के नमूने जांच के लिए भेजे गए। तत्पश्चात इसी दिन राजस्थान मिश्ठान भंडार की निर्माण इकाई में गंभीर और स्वास्थ्य के लिए घातक अनियमितताएं सामने

आईं। यहां अस्वच्छ परिस्थितियों में उत्पादन, केवल पंजीयन पर संचालन, कीट-ग्रस्त काजू से काजू कतली निर्माण, पनीर में गैर-खाद्य ग्रेड साइट्रिक एसिड का उपयोग तथा बिक्री के लिए रखे छेना पर मक्खी व अन्य उड़ने वाले कीट पाए गए। मौके पर ही लगभग 15 किलोग्राम छेना नष्ट कराया गया। इसके साथ ही बिना वैध लेबलिंग के काजू व इलायची का उपयोग पाए जाने पर 140 किलोग्राम काजू 1 लाख 12 हजार और 1 किलोग्राम इलायची 3 हजार जप्त की गई, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 1 लाख 15 हजार है। संबंधित इकाई के विरुद्ध विधिक नोटिस जारी करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

आज टीम ने होटल सत्या और होटल राजकमल का निरीक्षण कर खाद्य नमूने संग्रहित किए तथा मानकों के पालन के निर्देश दिए। इसी क्रम में गुप्ता जी नमकीन ताली, बैढ़न का निरीक्षण कर नमकीन उत्पादों के नमूने भी लिए गए। खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने स्पष्ट किया कि आमजन के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आगे भी सख्त, निरंतर और दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। अभियान के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग से ओमप्रकाश साहू, अभिषेक बिहारी गौर मौजूद रहे।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (ग्रामीण) तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

क्र./1501//अनु0अधि0/ सतना दिनांक 15/12/25

1.राकेश कुशवाहा पिता श्री स्व0 रविशंकर कुशवाहा निवासी ग्राम पतारी तहसील कोठी जिला सतना म0प्र0, 2. वंदना कुशवाहा पुत्री श्री स्व0 रविशंकर कुशवाहा पत्नी श्री कन्हैया कुशवाहा निवासी राजकिशोर नगर लिंग्याडीह बिलासपुर जिला बिलासपुर छ0ग0, 3. संध्या कुशवाहा पिता श्री स्व0 रविशंकर कुशवाहा पत्नी श्री शुभम कुशवाहा निवासी पतारी तह0 कोठी हाल निवास इंदौर म0प्र0

...........**अपीलान्टगण**

बनाम

1- इंद्रपाल कुशवाहा पिता श्री स्व0 रविशंकर कुशवाहा, 2- कृपाशंकर कुशवाहा पिता श्री स्व0 रविशंकर कुशवाहा, 3- चंद्रपाल कुशवाहा पिता श्री स्व0 रविशंकर कुशवाहा तीनो निवासी ग्राम पतारी तहसील कोठी जिला सतना म0प्र0, 4-मोहनदास कुशवाहा पिता श्री स्व0 रामदयाल कुशवाहा ग्राम पतारी तहसील कोठी जिला सतना म0प्र0

.... **रेस्पाडेन्टगण**

प्रेस विज्ञप्ति

एतद् द्वारा सर्वसंबंधित जन को सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोठी के रा0प्र0क्र0 0553/अ-6/21-22 आदेश दिनांक 23/11/2021 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है। अपील प्रकरण में अनावेदक / प्रत्यार्थीगण क्र.04 की उपस्थिति हुई है व शेष को विधिवत सूचना तामील नही है। इस न्यायालय में नियत **पेशी दिनांक 13/01/2026** समय 12.00 बजे दोपहर स्वत: अथवा अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष समर्थन करे। उपस्थित न होने व पक्ष समर्थन के अभाव में आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। बाद म्याद कोई आपत्ति मान्य नही होगी।

आज दिनांक 12/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर / पद मुद्रा से जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
रघुराजनगर (ग्रामीण), सतना (म0प्र0)

नाम परिवर्तन सूचना

मै कामता प्रसाद गौतम उम्र 68 वर्ष पिता श्री विश्राम प्रसाद गौतम निवासी बार्ड क्र. 10 ग्राम तह. गुढ़ जिला रीवा का मूल निवासी हूँ व शपथ पूर्वक कथन करता हूं कि मेरे आधार कार्ड व समस्त दस्तावेजो में मेरा नाम कामता प्रसाद गौतम दर्ज है जो मेरा है। यह कि मेरे पैन कार्ड (ALCPM9299C) में मेरा नाम कामता प्रसाद मिश्रा दर्ज है जो कि असत्य है यह कि कामता प्रसाद गौतम व कामता प्रसाद मिश्रा दोनो नाम मेरे ही है यह कि पैन कार्ड में मेरा नाम कामता प्रसाद मिश्रा के स्थान पर कामता प्रसाद गौतम दर्ज किया जाय जिस हेतु उक्त शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

कामता प्रसाद गौतम पिता श्री विश्राम प्रसाद गौतम, नि. बार्ड क्र.10 गुढ, जिला रीवा (म.प्र.)

In The Court Of III Civil Judge to Additional Class-I, District Court, Sidhi
Presiding Officer: सुश्री सुनीता रावत

(आवेदन अंतर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम सक्सेशन प्रकरण क्रमांक)

(MJC SUC/0000015/2025)

पूजा मिश्रा......................आवेदक
Vs
हर आम खास.... ....अनावेदक

प्रो. 1724/2025
09/12/2025
Process Id- /2025
पेशी दिनांक :- 15/01/2026

प्रेषिती-
(1) हर आम खास पता- जिला सीधी म.प्र.
(2) आम जनता

आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक पूजा मिश्रा पता ने मृतक श्रीकांत द्विवेदी पिता नन्दनी प्रसाद निवासी ग्राम प्रियदर्शनी नगर हाउसिंग बोर्ड कालोनी की 2200000 (लगभग बाइस लाख रूपये) राशि/संपत्ति हेतु उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये इस न्यायालय में आवेदन किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 15 January 2026 को नियत है।

यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रकरण में आवेदक को उक्त मृतक का उत्तराधिकारी अथवा अभिभावक/संरक्षक होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी किये जाने में कोई आपत्ति हो अथवा उक्त प्रकरण में वह अपना हक समझता हो तो पेशी दिनांक 15 January 2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहें। सूचना उपरांत, यदि अनुपस्थित रहे तो प्रकरण की सुनवायी एक पक्षीय की जाकर प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।

यह आज तारीख 04 December 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दिया गया है।

न्यायालय की मुद्रा

(सुनीता रावत)
तृतीय व्यवहार न्यायाधीश
वरिष्ठ खण्ड सीधी
जिला- सीधी (म.प्र.)

टिप्पणी :- पेपर प्रकाशन

कृपया ध्यान दें :-

1. यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा।

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विशेष विवाह अधिकारी जिला- मैहर (म.प्र.)

क्र./486/बिशेष विवाह/2025 मैहर दिनांक 03/12/2025

// सार्वजनिक सूचना //

विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 6 के तहत

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुखीराम रजक पिता श्री रामलाल रजक उम्र 31 वर्ष निवासी वार्ड क्र.03 खेरवासानी तहसील मैहर जिला मैहर म.प्र. एवं आवेदिका छवि रजक पिता श्री कैलाश रजक उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट घुनवारा तहसील मैहर जिला मैहर म.प्र. के द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर बिशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 5 के अंतर्गत बिशेष विवाह अनुष्ठापन हेतु आवेदन दिनांक 19.11.2025 को प्रस्तुत किया गया है।

उक्त प्रस्तावित विवाह अनुष्ठापन के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह आपत्ति लिखित रूप में इस न्यायालय में दिनांक 06/01/2026 को या इसके पूर्व न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 03/12/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

अपर कलेक्टर
एवं विशेष विवाह अधिकारी
जिला-मैहर (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर जिला- मैहर (म.प्र.)

पत्र क्र./415/रीडर/2025 मैहर दिनांक 10/11/2025

// प्रकाशनार्थ //

1.नेहा तिवारी पत्नी श्री पारसनाथ तिवारी निवासी ज्ञान कालोनी रीवा रोड मैहर जिला मैहर (म0प्र0), 2. पिंकी सोनी पत्नी रविशंकर सोनी निवासी पुरानी बस्ती मैहर तहसील मैहर जिला मैहर (म0प्र0)

.......**अपीलार्थीगण**

बनाम

1.माया बाई पुत्री श्री परदेशी सिंह गोंड निवासी अमगार तहसील व जिला मैहर (म0प्र0) 2 रेखा सिंह गोंड पुत्री स्व0 श्री परदेशी सिंह गोंड निवासी अमगार तहसील व जिला मैहर (म0प्र0), 3 सुन्दर सिंह गोंड तनय स्व0 श्री मंगल सिंह गोंड निवासी मोहरवा तहसील व जिला मैहर (म0प्र0), 4. मकरंद सिंह गोंड पिता श्री स्व0 श्री परदेशी सिंह गोंड निवासी अमगार तहसील व जिला मैहर (म0प्र0), 5. अल्ट्राटेक सीमेण्ट वर्क्स यूनिट मैहर सीमेण्ट सरलानगर जरिये अधिकृत अजयवीर सिंह महिला उपाध्यक्ष मानव संसाधन विभाग विभाग मैहर सीमेण्ट वर्कस सरलानगर तहसील मैहर जिला मैहर (म0प्र0) ......**प्रत्यर्थीगण**

उपरोक्त विषयातर्गत इस न्यायालय में प्र0क्र0 0021 / अपील / 2025-26 उभय पक्षों के मध्य विचाराधीन है। अनावेदकगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया है लेकिन सूचना नही मिल पाई है न ही उपस्थित हुये है। अत: जरिये समाचार पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है। कि आप दिनॉक 12/01/ 2026 को न्यायालय में उपस्थित हो अन्यथा एक पक्षीय आदेश पारित करते हुये नियमानुसार कार्यवाही कर दी जायेगी। पेशी दिनांक- 12/01/ 2026

अपर कलेक्टर
जिला-मैहर (म.प्र.)

वाहन हस्तानांतरण सूचना

मै अरविन्द तिवारी पिता श्री स्व.शिव प्रताप तिवारी निवासी ग्राम मनकहरी पोस्ट बठिया जिला सतना म.प्र. का होकर बहलफ सूचित कर रहा हूं कि मेरा आधार कार्ड क्रमांक 618626844453 है. मै सूचित कर रहा हूं कि वाहन क्रमांक MP19AB3709 के पंजीकृत स्वामी मालिक मेरे पिता स्व.श्री शिव प्रताप सिंह तिवारी थे उनका निधन दिनांक 29.05.2016 तथा मेरी माता स्व.श्रीमती सुधा तिवारी पत्नी स्व.श्री शिव प्रताप सिंह तिवारी का निधन 19.11.2016 को हो गया है. जिनके मेरे अलावा अन्य कोई वारिष नहीं है, इसलिए उक्त वाहन को मेरे नाम ट्रान्सफर किया जाये. उक्त वाहन में किसी प्रकार का कोई बकाया नहीं है, न ही उक्त वाहन पर किसी भी थाना न्यायालय आदि में कोई प्रकरण दर्ज है. यदि भविष्य में उक्त वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी. उक्त वाहन क्रमांक MP19AB3709 को मेरे नाम आन्तरण किया जाए.

अरविन्द तिवारी पिता श्री स्व.शिव प्रताप तिवारी निवासी ग्राम मनकहरी पोस्ट बठिया जिला सतना (म.प्र.)

कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन

दूरभाष न. - 0734-2524462, ई-मेल cepwdujjain@mp.nic.in

निविदा सूचना क्र. 16 / सामान्य / मु. अ. / 2025-26/ उज्जैन दिनांक 16.12.2025

निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु प्रतिशत दर के आधार पर निविदायें आमंत्रित की जाती है । उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है ।

क्र.	जिला	टेण्डर आई.डी. क्रमांक	कार्य का नाम	ठेके की अनु. राशि(रू. लाख में)	कार्य की समयावधि
1	2	3	4	5	6
1	नीमच	2025_PWDRB_ 468818_ pack 1	मोरवन से जावद टू-लेन मार्ग निर्माण कार्य लम्बाई 16.50 कि.मी विद्युतीकरण कार्य सहित ।	4040.88	18 माह वर्षाकाल सहित
2	नीमच	2025_PWDRB_ 468819_ pack 1	आंत्री - माता से भादवामाता मार्ग लम्बाई 31.40 कि.मी विद्युतीकरण कार्य सहित ।	5022.87	18 माह वर्षाकाल सहित
3	देवास	2025_PWDRB_ 468820_ pack 1	मेढकी रोड से रेल्वे स्टेशनपहुंच मार्ग लम्बाई 1.50 कि. मी का निर्माण कार्य मय विद्युतीकरण स्टीट लाईन पोल शिफ्टिंग कार्य सहित ।	644.22	12 माह वर्षाकाल सहित
4	रतलाम	2025_PWDRB_ 468821_ pack 1	धराड से बदनारा फंटा मार्ग लम्बाई 5.80 कि.मी का मजबूतीकरण एवं चौडीकरण कार्य विद्युतीकरण कार्य सहित ।	916.14	12 माह वर्षाकाल सहित

उपरोक्त वेबसाइट आनॅलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) बेवसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र ऋय एंव ऑनलाईन बिड सबमिशन की अंतिम दिनांक 02.01.2026 सायं 5.30 बजे निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाईट पर किया जायेगा । पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा ।

G-22884/25

मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन

कार्यालय कलेक्टर (जिला शिक्षा केन्द्र) सिंगरौली (म.प्र.)

सिंगरौली दिनांक 18.12.2025

विज्ञापन

क्र./जिशिके/ईएण्डआर/2025/1913 के अनुक्रम में भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम क्र./एफ 9-20/2021/अ/-73 भोपाल दिनांक 13.01.2023 के अनुसार निविदा क्रमांक 2025_DEO_469335_1 दिनांक 18.12.2025 जिला सिंगरौली अंतर्गत तीनों विकासखण्डों की शासकीय विद्यालयों में सत्र 2026-27 हेतु कक्षा 1 से 8 तक में नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक का विकासखण्ड से विद्यालय तक परिवहन किया जाना है, इस सेवा हेतु निविदा MP TENDER PORTAL पर ऑनलाईन आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी विस्तृत जानकारी http://mptenders.gov.in/ पर विजिट कर देखी जा सकती है। निविदा प्रकाशित करने का दिनांक 18.12.2025 तथा निविदा जमा करने की अंतिम दिनांक 07.01.2026 है। निविदा खुलने का दिनांक 08.01.2026 निर्धारित किया गया है।

जिला परियोजना समन्वयक
जिला शिक्षा केन्द, सिंगरौली (म.प्र.)

न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी जिला सीधी (म.प्र.)

इश्तहार

(अंतर्गत धारा-15 विशेष विवाह अधिनियम, 1954)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकद्वय वीरेन्द्र सिंह बाघेल पिता स्व. श्री हीरालाल सिंह, ग्राम व पोस्ट तिलखन (ऊँचा टोला), थाना बैकुण्ठपुर जिला रीवा (म.प्र.) एवं अर्चना सिंह पिता श्री मुनीन्द्र सिंह चौहान ग्राम बसौड़हा (पनवार) पोस्ट पनवार, थाना जमोड़ी, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः जिस किसी व्यक्ति को उक्त विवाह से संबंधित कोई आपत्ति हो तो न्यायालय अपर कलेक्टर एवं विवाह अधिकारी के यहां उपस्थित होकर आपत्तिः प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय

वीरेन्द्र सिंह बघेल पिता श्री हीरालाल सिंह
निवासी- ग्राम पोस्ट- तिलखन, थाना- बैकुंठपुर
तहसील- सिरमौर, जिला- रीवा (म.प्र.)